उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 21/2024/98/छप्पन-2024/56-1002(001)-1-2022
लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2024
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2023-24 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-01-वेतन/06-अन्य भत्ते					
207001140000301	406.38	23.00	23.00	23.00	383.38
207001140000306	221.93	70.00	70.00	70.00	151.93
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03- उत्तर प्रदेश विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय					
305301800000342	4000.00	500.00	500.00	500.00	3500.00
योग	4628.31	593.00	593.00	593.00	4035.31

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207001140000302	1500.00	1578.00	78.00	78.00	1578.00
207001140000312	3.00	8.00	5.00	5.00	8.00
207001140000329	100.00	110.00	10.00	10.00	110.00
207001140000342	2000.00	2500.00	500.00	500.00	2500.00
योग	3603.00	4696.00	593.00	593.00	4696.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न मानक मदों आवश्यक्तानुसार व्यय किये जाने के कारण बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- 1- पाइलेट/अभियन्ता/ तकनीकी कर्मचारी तथा लिपिकीय संवर्ग में संविदा कर्मी की नयी नियुक्ति होने के फलस्वरूप है। 2- इस व्यायधिक्य का मुख्य कारण विभाग में लगे फोटो स्टेट मशीन काफी पुरानी है, जो अक्रियाशील होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। जिसके कारण 03 फोटो स्टेट मशीन लेखा प्रभाग, अधिष्ठान तथा स्टोर के लिये क्रय किया जाना प्रस्तावित है। 3- निदेशालय में परिसर में नयी सिक्योरिटी हॉल एवं नये बाथरूम में विभिन्न प्रकार के विद्युत कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। 4- राजकीय वायुयान Hawker 900 XP, VT-UPM के दायें इंजन हेतु Fuel Control Unit P/N-3070800-79 मात्रा 01 तथा इसके लिये Installation Kit P/N-3067013-1 मात्रा 01 AOG के आधार पर कय, राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109 एस दी०टी०-यू०पी०एल के स्पेयर्स Exchange के आधार पर M/s Leonardo Malaysia Sdn Bhd ठीक से क्रय किये जाने हेतु तथा निदेशालय एयरपोर्ट लखनऊ में गत वर्ष की तुलना में बायुयानों पर ईधन का व्यय तथा निदेशालय में नये पाइलेट एवं अभियन्ता की नियुक्ति होने के फलस्वरूप उनके प्रशिक्षण पर भेजे जाने के दृष्टिगत अधिक व्यय होने की सम्भावना है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। आनन्द कौशिक अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या- आर0ई0-बजट-1- 433 /दस-2024, दिनांक : 12 फरवरी, 2024 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज। हस्ताक्षर ..... कुँवर मकरन्द सिंह संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : 21/2024/98(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7. 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में). 6- गार्ड बुक।	आनन्द कौशिक अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।